विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः– 102 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 12/12/2025

वाद योजित तिथि –20.08.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–09.12.2025
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 09.12.2025

शिकायत संख्याः– 394(प्रकीर्ण वाद–05) / 2025–26

श्री प्रेम संगेला, निवासी तिरंगा भवन मेहलचौरी वि0ख0– गैरसैंण..परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. श्री प्रेम संगेला, निवासी तिरंगा भवन मेहलचौरी वि0ख0– गैरसैंण।

विपक्षी की ओर से.. श्री तरवेज आलम, उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री प्रेम सिंह संगेला, निवासी तिरंगा भवन मेहलचौरी, संयोजन सं0– GS13107214726 वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 20.08.2025 को पत्र मेल के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि मंच द्वारा पूर्व में प्रार्थी की दर्ज वाद सं0–108 के निर्णय का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 102 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांकः– 12/12/2025

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 30.09.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उपभोक्ता के बिल संशोधित यूनिट का पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में मंच के सम्मुख प्रस्तुत करें।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की अगली सुनवाई दिनांक 09.12.2025 को परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग श्री तरवेज आलम उपस्थित हुए, विपक्षी की ओर से पत्र सं0–1585/वि0वि0ख0गै0 दिनांक 09.12.2025 पत्रावली पर दाखिल किया गया, जो शामिल मिस्ल है, विपक्षी द्वारा शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से मंच को अवगत किया गया कि परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 103 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 12/12/2025

वाद योजित तिथि –04.11.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–09.12.2025
निर्णय उद्घघोषित तिथि–09.12.2025

शिकायत संख्याः– 31/2025–26

श्री खड़क सिंह पुत्र श्याम सिंह ग्राम पंचायत सुया वि0ख0–देवाल थराली...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत, वितरण खण्ड, नारायणबगड़..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. श्री देवेन्द्र सिंह अवर अभियन्ता देवाल।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लाइन के सन्दर्भ में है। श्री खड़क सिंह पुत्र श्याम सिंह ग्राम पंचायत सुया वि0ख0–देवाल थराली, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 16.10.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी के ग्राम पंचायत सुया के अन्तर्गत विभाग द्वारा लगाए गए विद्युत पोल तिरछे हो रखे है

जिससे छोटी बडी दोनों लाइनें आपस में टकरा रही है, एवं विद्युत तारें झूल रही है। जिस कारण जान माल का नुकसान बना हुआ है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.12.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह अवर अभियन्ता वि0 वि0खण्ड देवाल उपस्थित हुए, विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 1163/वि0वि0ख0नाब0/ दिनांक 09.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है। परिवादी से दूरभाष से वार्ता करने पर मंच को बताया गया कि परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL